# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

**पीठासीन अधिकारी–अमीलाल यादव, आर.ए.एस.**

न.मु. – 130/25 निर्णय दिनांक – 30-10-25

1. उमाराम पुत्र मोटाराम आयु 61 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. कानाराम पुत्र मोटाराम आयु 75 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. किशनाराम पुत्र मोटाराम आयु 73 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. पन्नाराम पुत्र मोटाराम आयु 60 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. मोहनराम पुत्र मोटाराम आयु 80 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. तोलाराम पुत्र मोटाराम आयु 62 वर्ष जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि
भूमि का विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा
डिक्री अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट– वकील वादी
2 श्री मोहित कुमार जाट वकील प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 3

**निर्णय**

1. वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 303 तादादी 6.4876 हैक्टेयर व खसरा संख्या 391 तादादी 17.8694 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 सगे भाई है। उक्त खेतों की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्वजों से विरास्तन प्राप्त है। जिसमें वादीगण प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है। लगभग 40 चालीस वर्ष पूर्व वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर अलग–अलग परिवारों में रहने लगे पारिवारिक मौखिक समझौता

लगातार 2 पर ..............

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

द्वारा उपरोक्त वादगत खेतों का मौखिक बन्टवारा कर अपनी–अपनी हिस्सा पांति में आई भूमि पर पुख्ता सींवें कायम कर अलग–अलग काश्त करने लगे। वादीगण 1 ता 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सा पांति भूमि का नजरी नक्शा दावा के साथ सलंग्न है। वादी संख्या 1 उमाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के उतरी–पश्चिमी कोने की तादादी 4.0595 भूमि कब्जा काश्त मे है जिस पर पक्का मकान व ट्युबैल निर्मित कर रखा है। वादी संख्या 2 कानाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी–पूर्वी कोने की तादादी 1.6314 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 303 के पूर्वी साईड की तादादी 2.4281 हैक्टेयर भूमि यानि दोनों खसरो की कुल तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है खसरा नम्बर 303 में पक्का कुण्ड व खसरा नम्बर 391 में ढाणी बनी हुई है। वादी संख्या 3 किशनाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के उतरी–पूर्वी कोने की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिस पर वादी संख्या 3 की ढाणी बनी हुई है। वादी संख्या 4 पन्नाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिस पर वादी संख्या 4 की ढाणी बनी हुई है। वादी संख्या 5 मोहनराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 303 के पश्चिमी साईड की 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिस पर वादी संख्या 5 की ढाणी व पक्का कुण्ड बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 तोलाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 में उमाराम व पन्नाराम के बीच की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ढाणी व टयुबैल बना हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अलग अलग परिवारो मे रहते है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजनाओ मे लाभ प्राप्त करने मे समस्या आती है। इसलिये वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी अपनी कब्जा काश्त भूमि का बंटवारा करवाकर अलग अलग खातेदारी अंकित करावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादगत खेतो की सयुंक्त खातेदारी भूमि का सहमति से विभाजन करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु दिनांक 25.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 कुटुम्बी बातो को लेकर वादीगण से रंजिश रखता है। इसलिये वादीगण की हिस्सा पांति भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकिया दे रहा है। इसलिये वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वे न्यायालय से चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वर्जित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति से विभाजन कराने की इंकारी से वाद हेतुक तथा वादीगण के रेकार्डेड खातेदार होने से वादाधार प्राप्त है। तथा वादगत भूमि ग्राम बाढसर मे स्थित होने से न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क व अंदर मियाद प्रस्तुत है अतः वाद दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार वादीगण की हिस्सा भूमि का विभाजन कर अलग अलग खातो मे दर्ज किया जावे तथा लगान का विभाजन किया जावे आदि आदि प्रस्तुत किया।

लगातार 3 पर ..............

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

वाद दर्ज रजिस्ट्रर होकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाद तामील हाजिर अदालत न आने पर उनके खिलाफ ईकतरफा कार्यवाही की गई तथा पैरोकार राज तहसीलदार ने अपने जबाब मे कोई राजहित नही होना जाहिर किया तथा वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। जिसके अनुसार लगभग 40 वर्ष पूर्व पहले वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने संयुक्त परिवार से अलग अलग होकर रहने लगे। पारिवारिक मौखिक समझौता द्वारा वादगत का भूमि बंटवारा कर अलग–अलग काश्त करने लगे। राजीनामा के साथ नजरीनक्शा प्रस्तुत कर कब्जा काश्त अनुसार दर्शाया गया है। उक्त राजीनामा मे वादी संख्या 1 उमाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के उतरी पश्चिमी कोने की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें पक्का मकान व टयूबैल निर्मित कर रखा है। वादी संख्या 2 कानाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी पूर्वी कोने की तादादी 1.6314 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 303 के पूर्वी साईःड की तादादी 2.4281 हैक्टेयर यानि दोनों खसरा की कुल 4.0595 हैक्टेयर आई हुई है। खसरा संख्या 303 में पक्का कुण्ड व खसरा संख्या 391 में ढाणी बना रखी है। वादी संख्या 3 किशनाराम के हिस्सा पांति में खसरा नम्बर 391 के उतरी पूर्वी तरफ की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर उसकी ढाणी बनी हुई है। वादी संख्या 4 पन्नाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी–पश्चिमी तरफ की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें उसकी ढाणी बनी हुई है। वादी संख्या 5 मोहनराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 303 में पश्चिमी साईड की तादादी 4.0595 हैक्टेयर आई हुई है। जिस पर पक्का कुण्ड व ढाणी बना रखी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 तोलाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 में उमाराम व पन्नाराम के बीच की तादादी 4.0595 हैक्टैयर भूमि आई हुई है। जिस पर ढाणी व टयूबैल बना रखा है। खसरा नम्बर 303 में दक्षिणी सींव के पास–पास तथा खसरा संख्या 391 में कानाराम व किसनाराम की भूमि के बीच पूर्व से पश्चिमी रास्ता बना हुआ है। तथा उमाराम, तोलाराम व पन्नाराम की भूमि में पूर्वी सीमा के पास पास आपसी सहमति से आवागमन हेतु रास्ते छोडे हुये है। जिसे भविष्य में कोई पक्षकार बंद नहीं कर सकेगा। तथा वाद पत्र में अंकित पक्षकारान के बीच चल रही अनबन को भी स्वीकार किया है। परन्तु अब रिश्तेदारों, परिचितों व गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश के कारण पक्षकारान ने राजीनामा कर लिया है। तथा राजीनामा के अनुसार अपना दावा डिकी करवाना चाहते है। ताकि पक्षकारान के बीच आपसी भाईचारा व प्रेम बना रह सके तथा पक्षकारान ने उपरोक्त राजीनामा के आधार पर उपरोक्त भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया तथा साक्ष्य मे खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

लगातार 4 पर ..............

नंबर 303 व 391 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 पेश की जो प्रदर्श 1 है। वकील वादीगण की सुनी गयी। जिसमे राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादगत भूमि वादीगण 1 ता 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी मे होना प्रमाणित है तथा दावे व राजीनामा के तथ्यो के अनुसार पक्षकारान द्वारा आपसी वंटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त होना जाहिर है। प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा पांति की भूमि का अलग अलग विभाजन करवाकर अलग अलग लगान कायम करवाने के अधिकारी है।

**आदेश**

वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम बाढ़सर के खेत खसरा संख्या 303 तादादी 6.4876 हैक्टेयर व खसरा संख्या 391 तादादी 17.8694 हैक्टेयर मे वादी संख्या 1 उमाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के उतरी पश्चिमी कोने की तादादी 4.0595 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 कानाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी पूर्वी कोने की तादादी 1.6314 हैक्टेयर व खसरा संख्या 303 के पूर्वी साईड की तादादी 2.4281 हैक्टेयर व वादी संख्या 3 किशनाराम के हिस्सा पांति में खसरा नम्बर 391 के उतरी पूर्वी तरफ की तादादी 4.0595 हैक्टेयर व वादी संख्या 4 पन्नाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 के दक्षिणी–पश्चिमी तरफ की तादादी 4.0595 हैक्टेयर व वादी संख्या 5 मोहनराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 303 में पश्चिमी साईड की तादादी 4.0595 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 तोलाराम के हिस्सा पांति में खसरा संख्या 391 में उमाराम व पन्नाराम के बीच की तादादी 4.0595 हैक्टैयर बैंक भार सहित भूमि के अलग अलग खाता बनाकर अलग अलग खसरा दर्ज किया जावे तदनुसार लगान का विभाजन किया जावे तथा नक्शा मे उपरोक्तानुसार तरमीम की जावे। इसी प्रकार अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 30-10-25 .............. को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर